CNR No.-**UPGZ**01-019088-2022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-13, गाजियाबाद।

उपस्थित: पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

सत्र परीक्षण संख्याः-712/2022

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-2010/2022)

राज्य बनाम श्रीमती नाजमा

मुकदमा अपराध सं०-382/2022

अंतर्गत धारा-302 भा०दं०सं०

थाना-लोनी बोर्डर, गाजियाबाद।

उपस्थितः-

1. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री विरेश त्यागी व सहोयगी विद्वान अधिवक्तागण श्री मौ० इमरान व श्री नईमुद्दीन।

2. अभियुक्ता श्रीमती नाजमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत कुमार हंडा।

दिनांक-25.01.2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 17 ख

1- पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्ता श्रीमती नाजमा उपस्थित। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता श्रीमती नाजमा की तरफ से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 दं०प्र०सं० दिनांकित 28-11-2023 कागज संख्या 17 ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद अभियोजन साक्ष्य में नियत है। दिनांक 02.06.2023 को अभियोजन साक्षी संख्या 03 सादाब के साक्ष्य न्यायालय में अंकित हुए थे, जिसमें जिरह के दौरान इस साक्षी ने बताया है कि "मैंने दिनांक 05.06.2022 को नाजमा को फोन किया था जो मोबाईल नं० 9015765960 है। फोन किया था, परन्तु बात नहीं हो सकी। मुझे इस समय नाजमा का मोबाईल नम्बर (7065318908 / 7289038628) याद नहीं है। लगभग दोपहर के बाद मैंने नाजमा को फोन किया था। फोन करने के बाद मैंने क्या किया, इस समय याद नहीं है।" अभियुक्त नाजमा घटना वाले दिन घटनास्थल पर नहीं थी और उसने घटना कारित नहीं की, ऐसा सुझाव इस साक्षी को दिया गया है। क्योंकि मुकदमा गंभीर अपराध का है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है इसीलिए ऐसे साक्ष्य जो न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुँचने में मदद करे, उसे पत्रावली पर अविलम्ब लाया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा कथित/ फर्जी घटना के समय अभियुक्त द्वारा प्रयोग किये जाने वाला मोबाईल सिम नंबर एयरटेल कम्पनी का था। न्यायहित में आवश्यक है कि नोडल अधिकारी, भारती टेलीमीडिया लिमिटेड, एयरटेल टावर, एयरटेल सेंटर, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, हजरतगंज लखनऊ 226001 को निर्देशित किया जाये कि वह न्यायालय में उपरोक्त सिम नम्बर 7065318908 / 7289038628 की सी.डी.आर. 04.06.2022 से

06.06.2022 तक की व इस नम्बर का सी.ए.एफ. सुरक्षित रखें और भविष्य में अग्रिम आदेश पर न्यायालय को उपलब्ध कराये क्योंकि न्याय का सिद्धान्त है कि "गवाह झूठ बोल सकता है परिस्थितियाँ नहीं।" यह दस्तावेज/ रिकॉर्ड इस मुकदमे को तय करने में महत्वपूर्ण भूमि निभाएंगे।

प्रार्थना की गयी है कि न्यायालय नोडल अधिकारी, भारती टेलीमीडिया लिमिटेड, एयरटेल टावर, एयरटेल सेंटर, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, हजरतगंज लखनऊ 226001 को निर्देशित करें कि वह अभियुक्ता नाजमा द्वारा घटना के दिन प्रयोग में लाये जा रहे सिम नम्बर 7065318908 / 7289038628 की सी.डी.आर. दिनांक 04.06.2022 से 06.06.2022 तक की व इस नम्बर का सी.ए.एफ. सुरक्षित रखें और भविष्य में अग्रिम आदेश पर न्यायालय को उपलब्ध करायें।

2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3– यह प्रार्थना पत्र पुलिस विवेचना किसी विशेष तरीके से करने को लेकर नहीं है, अपितु बचाव में प्रयोग होने वाले साक्ष्यों को सुरक्षित करवाने हेतु है।

इस प्रार्थना पत्र का मूल प्रश्न यह है कि–क्या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के दौरान बचाव में प्रयोग होने वाले मामले साक्ष्य को सुरक्षित रखने हेतु आदेश पारित किया जा सकता है?

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सी.डी.आर. कॉल डिटेल व सी.ए.एफ. का डेटा केवल मोबाईल कम्पनी के पास केवल सीमित अवधि तक ही सुरक्षित रहते हैं। अतः हो सकता है कि यह साक्ष्य बचाव के समय उपलब्ध न हो सके, जिससे अभियुक्ता अपने महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित रह सकता है। उपरोक्त चाहे गये साक्ष्य अभियुक्त के बचाव के लिये महत्वपूर्ण हो सकते है व बचाव साक्ष्य के दौरान तक मोबाइल कम्पनी के पास सुरक्षित न मिले। इस स्तर पर उनको सुरक्षित रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

1– अतः विवेचक को आदेशित किया जाता है कि वह अभियुक्ता नाजमा द्वारा घटना के दिन प्रयोग में लाये जा रहे सिम नम्बर 7065318908 / 7289038628 की दिनांक 04.06.2022 से 06.06.2022 तक की सी.डी.आर. व इस नम्बर का सी.ए.एफ. नोडल अधिकारी, भारती टेलीमीडिया लिमिटेड, एयरटेल टावर, एयरटेल सेंटर, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, हजरतगंज लखनऊ 226001 सुरक्षित रखें और भविष्य में अग्रिम आदेश पर न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विवेचक धारा 65B साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र सहित सुरक्षित कर न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर पत्रावली पर उपलब्ध कराये।

2– पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 27.02.2024 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या– 13, गाजियाबाद।